प्रकरण संख्या 20/2020 नारायण बनाम लालजी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के स्वामित्व व आधिपत्य की खाता संख्या 23 नया 20 पुराना की आराजीयात कुल किता 124 रकबा 14.64 हैक्टर भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर ग्राम नवाघरा तहसील आनन्दपुरी में स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 13 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 का 1/6 हिस्सा होकर इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष धारजी के 6 पुत्र देवला, वेसात, खातुड़ा, मानजी, नाथा व रतु हुए, जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 हैं। लगभग एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने झगड़ा फसाद कर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी एवं वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मध्य उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग अंकन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 07.07.2016 को वादीगण का वाद स्वीकर कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 12.05.2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13.11.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से पैरोकार सशरीर उपस्थित तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:49 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जाति से भील होकर मजदूरी हेतु गुजरात जाने से तथा वहां से वापस आने पर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा झगडा फसाद आज से लगभग दो माह पूर्व करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तथा जानकारी के बाद कोविड–19 महामारी के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट पूर्णतया उपस्थिति नहीं होने के बावजूद अंतिम डिक्री जारी करने में भूल की है। मौका रिपोर्ट दिनांक 10.07.2016 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। पटवारी रिपोर्ट मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार तैयार नहीं की गयी है तथा अंतिम डिक्री में अपीलान्ट के नाम जारी आराजी नंबर 307 रकबा 0.11 हैक्टर, आराजी नंबर 309 रकबा 0.10 हैक्टर कुल भूमि 0.21 हैक्टर भूमि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व ही माया पत्नी विशाल को विक्रय कर दी है। इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद पटवारी ने उक्त भूमि अपीलान्ट को देने में भूल की है। ऐसी स्थिति में उक्त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2003 (2) Page 777, RRT 2017 (1) Page 689, RRT 2002 (1) Page 53, RRD 2017 Page 382 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा दिनांक 10.07.2016 पर अपीलान्ट/वादीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे स्पष्ट है कि पर्चा मौका अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया है तथा फर्द बंटवारा भी पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा बनाया जाना प्रकट होता है, जबकि मौका कमिश्नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि विवादित आराजी नंबर 307 रकबा 0.11 हैक्टर, आराजी नंबर 309 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व ही दिनांक 19.08.2015 को माया पत्नी विशाल के पक्ष में विक्रय कर दिया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिम बंटवारे में उक्त भूमि अपीलान्टगण के हिस्से में रखी है, जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर **RRT 2003 (2) Page 777, RRT 2017 (1) Page 689** की रोशनी में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.05.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार आनन्दपुरी स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवारे पर यदि किसी पक्षकार की कोई आपत्ति हो तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण करते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान दिनांक 15.03.2023 को अधिनस्थ न्यायालय को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:49 IST
Reason: SelfAttested